

निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फ़ैक्स नं.-0141-2222403)
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्र मांक : प.1(ग) (7)का/एसएमई/डीएलबी/18/14823

दिनांक : 31/5/18

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ एवं फायरमैन संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	श्रीमती रिकू यादव	लिपिक ग्रेड-II	विजयनगर (स्थानान्तरणधीन)	कोटपूतली
2	श्री लालाराम पुत्र श्री राजूलाल	सफाई कर्मचारी	लालसोट	गंगापुरसिटी
3	श्री मुकेश पुत्र श्री चौधमल	सफाई कर्मचारी	लालसोट	हिण्डौनसिटी

उक्त कर्मचारीयो को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिए कार्यमुक्त कर शिघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवामिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एसएमई/डीएलबी/18/14824-842

दिनांक : 31/5/18

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. सभापति /अध्यक्ष/आयुक्त अधिशाषी अधिकारी/नगर परिषद/पालिका/गंगापुरसिटी/हिण्डौनसिटी/लालसोट/विजयनगर/कोटपूतली।
4. उपनिदेशक(क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
5. संबंधित कर्मचारी
6. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)